संख्या– 234 / 23–14–2014–06 आ0जि0यो0(न0) / 13टी0सी0

प्रेषक,

जयराम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) / विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–14 लखनऊः दिनाँक 24 फरवरी, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–58 के अधीन जिला योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 10.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2741नि0 / 157–01नि0 / 2013 दिनांक–18.11.2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 10.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 674.65 लाख (रू0 छः करोड़ चौहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ मनरेगा की धनराशि रू0 58.53 लाख घटाते हुये लो0नि0वि0 के अंश की धनराशि रू0 616.12 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0 184.84 लाख (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख चौरासी हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) प्रश्नगत कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किये जाये और न ही उन पर कोई व्यय भार ही वहन किया जाये, जब तक स्वीकृत लागत के अंदर प्रश्नगत निर्माण कार्यो के विस्तृत आगणन बनाकर उस पर प्राविधिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा न प्रदान कर दी जाये। कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी भी दशा में बैंकों/डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी, स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

प्रश्नगत मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की सहमति/अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जायेंगे।

4) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.3.2014 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

5) कार्य की विशिष्टियॉं, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्ति करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

6) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) विभाग यह सुनिश्चित करेंगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

10) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजना में पुनरावृत्ति न हो।

2-- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय–समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि रू0 66.39 लाख वित्त (लेखा) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या–ए–2–23/दस–2011–74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय शाप दिनांक 21 मार्च 2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक–1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉं–01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांस्फर इन्ट्री द्वारा केडिट करके विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

3– लेबर सेस की धनराशि रू0 5.31 लाख इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

4— मूल्यह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत धनराशि रू0 7.97 लाख सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय।

5. प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक मे अनुदान संख्या—58 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत—04—जिला तथा अन्य सड़के—337—सड़क निर्माण कार्य—65—नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गो तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था—24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—ई—8—949/दस—14 दिनाँक—24 फरवरी, 2014 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या— 234 (1)/23—14—2014—तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर।
3— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
4— मुख्य अभियंता (मु0—1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5— मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, वाराणसी।
6— अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8, उ0प्र0 शासन।
8— लोक निर्माण अनुभाग—10
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव